

# कार्यालय कलेक्टर, जिला भोपाल

क्रमांक / 6596 / सा.आ.सर्वे / 2011

भोपाल, दिनांक: 01 / 12 / 11

## “सामग्री क्रय हेतु विज्ञप्ति”

सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 में सर्वे हेतु प्रगणक एवं पर्यवेक्षक किट सामग्री निम्नानुसार क्रय किया जाना है :-

क्र.	विवरण	मात्रा
	प्रगणक किट की सामग्री	
1	वाटरप्रूफ थैला / पोलीथीन कवर सामग्री रखने के लिए	1190
2	गणना मशीन रखने के लिए बोर्ड A-4 साइज का	1190
3	बाल पेन (जेल पेन नहीं) पावती पर्ची देने हेतु (दो नग)	2380
4	रंगीन चाक (एक डब्बा) (गृह क्रमांकन के लिए)	1190 डिब्बे
5	स्टाम्प पैड (आवश्यकतानुसार अंगूठे के निशान हेतु)	1190
6	भवन क्रमांक / जनगणना गृह क्रमांक लिखने के लिए दर्जी चाक - (1)	1190
7	जनगणना कार्य पूर्णता स्टिकर (150 स्टिकर प्रति प्रगणक)	178500
	पर्यवेक्षक किट की सामग्री	
1	वाटरप्रूफ थैला / पोलीथीन कवर सामग्री रखने के लिए	400
2	गणना मशीन रखने के लिए बोर्ड A-4 साइज का	400
3	बाल पेन (जेल पेन नहीं) पावती पर्ची देने हेतु (दो नग)	800
4	रंगीन चाक (एक डब्बा) (गृह क्रमांकन के लिए)	400
5	स्टाम्प पैड (आवश्यकतानुसार अंगूठे के निशान हेतु)	400
6	भवन क्रमांक / जनगणना गृह क्रमांक लिखने के लिए दर्जी चाक - (1)	400
7	जनगणना कार्य पूर्णता स्टिकर (25 स्टिकर प्रति प्रगणक)	10000

1. जिले में सामाजिक - आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 के अन्तर्गत सर्वे हेतु नियुक्त प्रगणकों एवं पर्यवेक्षकों को किट हेतु सामग्री क्रय किये जाने हेतु सीलबंद निविदा दिनांक 15 / 12 / 2011 को दोपहर 01:00 बजे तक जिला पंचायत भोपाल में आमंत्रित की जाती है।
2. निविदाकार निविदा के साथ क्रय सामग्री की राशि का 3 प्रतिशत धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत भोपाल के नाम से जमा करना अनिवार्य होगा।
3. प्राप्त निविदाओं को उसी दिन शाम 4:00 बजे क्रय समिति के समक्ष खोला जावेगा। जिसमें सभी निविदाकार उपस्थित रह सकते हैं।
4. सामग्री लाने हेतु ट्रांसपोर्ट चार्ज स्वयं निविदाकार को वहन करना होगा।
5. जिन निविदाकारों की निविदाओं की दरें न्यूनतम पायी जावेगी, उन्हें दिनांक 25 / 12 / 2011 तक उक्त सामग्री जिला पंचायत कार्यालय भोपाल द्वारा निर्दिष्ट स्थान तक स्वयं के व्यय पर पहुंचाना होगी। अंतिम निर्णय कलेक्टर, जिला भोपाल का होगा।
6. निविदाकार का वाणिज्यिक कर विभाग एवं आयकर विभाग में पंजीयन होना आवश्यक है। तत्संबंधी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

कलेक्टर  
जिला भोपाल